भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 817-818/2019
(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 1926-1927/2017 से उत्पन्न)

प्रबीर पाल अपीलार्थी(गण)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य प्रत्यर्थी(गण)

आदेश

अनुमति प्रदान

पक्षकारों के फ़ाज़िल अधिवक्तागण को सुना गया|

यह अपील दिल्ली उच्च न्यायलय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (दीवानी) संख्या 494/2016 में दिनांक 12.07.2016 को पारित निर्णय एवं आदेश पर आक्षेप करती है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अपीलार्थी से वरिष्ठ व्यक्तिगण भारत तिब्बत सीमा पुलिस में (योधक लिपिक वर्गीय) निरीक्षक से आमेलन हेतु विचार किए जाने के लिए उपलब्ध थे|

अपीलार्थी की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह विनिर्दिष्ट अभिवचन किया गया था कि अपेक्षित योग्यता के संग

अपीलार्थी से कोई अधिक वरिष्ठ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था जिसे भारत तिब्बत पुलिस में निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध नहीं था| रिट याचिका के पैरा 5 में अपीलार्थी ने यह व्यक्त किया है कि:

> "5 इसे उल्लिखित करना उचित है कि याची योग्य एवं रूचि रखने वाले अभ्यर्थियों के बीच वरिष्ठता का पात्र है जिन्होंने आई.एस.टी.एम. से रोकड़े एवं लेखा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए हैं परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 अवैध एवं मनमाने रूप से याची की वरिष्ठता को उन अभ्यर्थियों से मिला रहे हैं जो न ही योग्य हैं और न ही निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति में रूचि रखते हैं जो भारत तिब्बत पुलिस सेवा नियमों का खुला उल्लंघन है जिसके अन्दर यह प्रावधान है कि निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति केवल योग्य आई.टी.बी.पी. संवर्ग से ही नहीं होगी बल्कि एन.डी.आर.एफ. से आमेलन द्वारा भी किया जाएगा| यहाँ उचित होगा कि उल्लेख किया जाए कि याची अभी प्रतिनियुक्ति द्वारा एन.डी.आर.एफ. में कार्य कर रहा है और वो एन.डी.आर.एफ. के मुख्यालय के अनुमोदन से आई.एस.टी.एम. से "रोकड़ एवं लेखा" पाठ्यक्रम हेतु चुना गया था|
>
> इन अभिवचनों के उत्तर में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब दायर किया गया

जो इस प्रकार है:

> "5. कि याचिका के पैरा 5 के विषय में यह निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 याची की वरिष्ठता को अवैध एवं मनमानी रूप से उन अभ्यर्थियों से नहीं मिला रहे हैं जो निरीक्षक (लेखा) के पद पर नियुक्ति के योग्य एवं इच्छुक हैं| याची ने एन.डी.आर.एफ. में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य समयविधि के दौरान क्रमानुसार पदों पर कार्य किया है एवं वो आई.एस.टी.एम. से रोकड़ एवं लेखा पाठ्यक्रम हेतु चुने गए थे"|

एवं फिर यह कहा गया कि:

अतः याची को उक्त अवैध अस्वीकृति पत्र संख्या 1-21018/01/2013/स्थापना-24660 दिनांक 30.11.2015 से शिकायत है एवं वो उस पर अन्य आधारों सहित निम्न आधार पर आक्षेप करते हैं:

क.) याची का प्रतिविरोध ठीक नहीं है| उनकी तुलना आई.टी.बी.पी. संवर्ग के अयोग्य एवं अनिच्छुक अभ्यर्थियों से नहीं की गई| वास्तव में वरिष्ठ निरीक्षक/यो.लि. उक्त पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण ही नहीं हुए क्यूंकि उनका नामांकन आई.एस.टी.एम. द्वारा नहीं किया गया था| तथापि, अनथक प्रयासों के पश्चात् आई.टी.बी.पी. के 25 वरिष्ठ/इच्छुक निरीक्षकगण/यो.लि. के लिए आई.एस.टी.एम. रोकड़ एवं लेखा पाठ्यक्रम का एक विशेष बैच चलाने जा रही है जिसके 21.03.2016 से प्रारंभ होने की सूचना है| अभी याची से कम से कम 170 वरिष्ठ निरीक्षक(यो.लि.) रोकड़ एवं लेखा पाठ्यक्रम की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं| इसलिए याची का आई.टी.बी.पी. में निरीक्षक (लेखापाल) के पद पर आमेलित किए जाने का दावा बिल्कुल निराधार एवं अतर्कसंगत है एवं चल रही प्रणाली के विरुद्ध है|

यह तथ्यात्मक स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रत्युतर शपथपत्र दायर करके निम्न शब्दों में नकारी गई:

“कि उत्तर के पैरा 5 का मज़मून गलत है एवं इसलिए नकारा जाता है एवं रिट याचिका के समरूपी पैरा पुनः दोहराए जाते हैं एवं उनकी पुनः पुष्टि की जाती है| आगे यह निवेदन किया जाता है कि निरीक्षक (योधक लिपिक वर्गीय) से निरीक्षक

(लेखा) के पद पर आमेलन कोई विभागीय पदोन्नति नहीं बल्कि यह एक विभाग से दूसरे विभाग में अभ्यर्थियों में विशेष हुनर/ज्ञान होने के आधार पर समान वेतनमान पर केवल आमेलन है एवं इसलिए निरीक्षक (लेखापाल) के पद पर लागू प्रशासनीय नियम भी वरिष्ठता को तैनाती के मानदंड के रूप में उल्लिखित नहीं करता| उक्त प्रशासनीय नियम केवल यह उल्लिखित करते हैं कि अभ्यर्थीगण किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रोकड़ एवं लेखा पाठ्यक्रम किए हों एवं चिकित्सीय रूप से ठीक हों"|

एवं फिर यह व्यक्त किया गया है कि:

"कि उत्तर के पैरा 7 के मज़मून ग़लत हैं एवं इसलिए नकारे जाते हैं तथा रिट याचिका के समरूपी पैरा जो याचिका के आधार को अन्तर्निहित किए हैं को पुनः दोहराया जाता है एवं उनकी पुनः पुष्टि की जाती है| एवं यद्यपि यह तकरार है परन्तु फिर से निवेदन किया जाता है कि याची के मामले को स्क्रीनिंग समिति को निदेशित किए बिना खारिज कर दिया गया है| आगे प्रत्यर्थियों का यह प्रतिविरोध कि निरीक्षक (लेखापाल) के पद आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में रोकड़ एवं लेखा की सीटों के आबंटन न होने के कारण रिक्त हैं बहुत ही भ्रमित करने वाला है| सत्य तथ्य यह है कि वर्ष 2015 में भी आई.एस.टी.एम, नई दिल्ली द्वारा अमुक सीटें प्रत्यार्थियों को आबंटित की गई थीं परन्तु वो उक्त प्रशिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी का नामांकन करने में विफल रहे| आगे पुनः प्रत्यर्थी की यह बहस कि याची एन.डी.आर.एफ. द्वारा अपने प्रशासनीय आवश्यकताओं के चलते रोकड़ एवं लेखा पाठ्यक्रम हेतु नामांकित किया गया था बहुत ही अनर्थक है एवं उसके उत्तर में यह पुनः निवेदन किया जाता है कि जब विभाग के भीतर अभ्यर्थियों की अयोग्यता के कारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग

(आई.टी.बी.पी.) बाहर से अभ्यर्थियों को लेने पर विवश है तो केवल इस आधार पर कि वो आई.टी.बी.पी. द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु नामांकित नहीं किया गया था याची के अभ्यर्थता की उपेक्षा करने का कोई तर्क नहीं जबकि वो आई.टी.बी.पी. संवर्ग से ही संबंध रखता है एवं उसके पास आवश्यक योग्यता भी है"|

हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में इन तथ्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण ही नहीं किया गया था| हमें इस तथ्य का भी भलीभांति आभास है कि उच्च न्यायालय में आक्षेपित निर्णय के पैरा 4 में इसे नोट किया है कि याची ने अपने प्रत्युत्तर में स्वयं ही राम सिंह, मनमोहन सिंह एवं विमलेश कुमार तिवारी के नामों को दिया है| तथापि, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूर्ण रूप से नहीं देखा है| अतः हमारा मन बन रहा है कि हम पक्षकारों को अपीलार्थीगण के उपरोक्त सिमित शिकायत पर रिट याचिका के पुनः विचारण हेतु उच्च न्यायालय भेज दें|

उच्च न्यायालय आक्षेपित निर्णय में किए गए पर्यवेक्षण से प्रभावित हुए बिना विधिवत रूप से व्यक्त किए गए मुद्दे को पुनः निर्णित करेगा|

अपील स्वीकार की जाती हैं| रिट याचिका उच्च न्यायालय में इसके पुनः निर्णय हेतु उसके फाइल पर अपनी मूल संख्या में पुनः स्थापित की जाती है|

न्या. .....
(ए.एम.खानविलकर)

न्या. .....
(अजय रस्तोगी)

नई दिल्ली;
जनवरी 15,2019

मद सं. 15 न्यायालय सं. 10 धारा XIV

भारतीय सर्वोच्च न्यायलय
कार्यवाहियों का अभिलेख

अपील हेतु विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 1926-1927/2017

(दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (दीवानी) संख्या 494/2016 में दिनांक 12.07.2016 को, रिट याचिका (दीवानी) संख्या 494/2016 में दिनांक 23.08.2016 को एवं पुनर्विलोकन याचिका संख्या 371/2016 में पारित आक्षेपित अंतिम निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न)

प्रबीर पाल अपीलार्थी(गण)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य प्रत्यर्थी(गण)

दिनांक: 15.01.2019 इन याचिकाओं को सुनवाई हेतु आज बुलाया गया

कोरम:

माननीय न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर
माननीय न्यायाधीश अजय रस्तोगी

याची(गण) निमित्त
श्री अनिल कुमार तिवारी, अधि.
श्री अमित पवन, अभि. अधि.

प्रत्यर्थी(गण) निमित्त
सुश्री पिंकी आनंद, ए.एस.जी.
सुश्री वी.मोहाना, वरि. अधि.
श्री वी.बालाजी, अधि.
सुश्री कृतिका सचदेवा, अधि.
सुश्री तनिशा समनता, अधि.
श्री बी.वी.बलराम दास, अभि. अधि.
श्री बी. कृष्णा प्रसाद, अभि. अधि.

अधिवक्तागण को सुनने पर न्यायालय ने निम्न आदेश पारित किए

हस्ताक्षरित आदेश की शर्तों के अधीन अपीलें स्वीकार की जाती हैं|

लंबित आवेदन पत्र, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं|

(दीपक सिंह)
कोर्ट मास्टर (एस.एच)

(अनीता रानी आहूजा)
कोर्ट मास्टर (एन.एस.एच)

[हस्ताक्षरित आदेश फाइल में लगा है]

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|